

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर**  
**—::आदेश::—**

नया रायपुर अटल नगर, दिनांक ०५/१०/२०२३

क्रमांक २१३३/आर-३०९३/२०२२/२२-१ (पार्ट) :: राज्य शासन द्वारा प्रदेश के ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों के स्वीकृत मानदेय/वेतनमान के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/२२/२०१८/२८९, दिनांक १५.०५.२०१८ को, अधिक्रमित करते हुए, निम्नानुसार नवीन संशोधित वेतन संरचना तथा अन्य सुविधाएं, निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है :—

**१/ विशेष भत्ता :—**

- (अ) १५ वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव — रुपए (३५००—१००००) + ११०० ग्रेड—वेतन तथा रुपये ४००० विशेष भत्ता।
- (ब) १५ वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव — रुपए (५२००—२०२००) + २४०० ग्रेड—वेतन तथा रुपये ३००० विशेष भत्ता।

**२/ अवकाश की पात्रता :—** ग्राम पंचायत सचिवों को एक कैलेण्डर वर्ष में, निम्नानुसार अवकाश की पात्रता रहेगी :—

- (क) २५ दिवस अर्जित अवकाश।
- (ख) १२ दिवस आकस्मिक अवकाश।

(ग) महिला ग्राम पंचायत सचिव जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को १८० दिवस तक के लिये मातृत्व अवकाश, (गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के छःमाह पश्चात् तक के लिये) स्वीकृत किया जा सकता है।

(घ) पुरुष ग्राम पंचायत सचिव जिसके दो से कम जीवित संतान हैं, को १५ दिवस का पितृत्व अवकाश, (बच्चे के जन्म के १५ दिवस पहले से लेकर छःमाह पश्चात् तक के लिये) स्वीकृत किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत सचिवों को भविष्य में, इस आदेश के तहत, किसी भी प्रकार के अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं होगी।

**३/ उपादान :—**

- (क) ०५ वर्ष से अधिक निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को, उनके सेवानिवृत्त होने पर, अहतादायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छःमाही समयावधि के लिए, उनकी अंतिम उपलब्धियों के एक—बौधाई के बराबर, उपलब्धि के १६.५ गुना से अधिकतम के अध्याधीन रहते हुये, उन्हें उपादान स्वीकृत किया जा सकेगा।
- (ख) ०५ वर्ष की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् यदि सेवा में रहते हुए, किसी पंचायत सचिव की मृत्यु हो जाती है, तो उपादान की धनराशि उसकी कुल अंतिम उपलब्धियों के १० गुना के बराबर अथवा खण्ड (क) के अधीन निश्चित की गई धनराशि, जो भी अधिक होगी, उसका भुगतान किया जाएगा।
- (ग) उपरोक्त खण्ड (क) और (ख), दोनों के लिये, देय उपादान राशि १०.०० लाख रुपये से अनाधिक होगी।

**४/ चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति :—**

- (क) ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।
- (ख) यह सुविधा शासन द्वारा समय—समय पर, अद्यतन की गई मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में, अंतः रोगी (In-patient) के रूप में कराये गये उपचार हेतु ही प्रदाय की जाएगी।
- (ग) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष ०५.०० लाख रुपये होगी।
- (घ) इसकी विस्तृत प्रक्रिया पृथक से जारी की जायेगी।

